बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

सं0– 6/निदे0 SPMU–39–01/2026 – 312

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा0प्र0से0
निदेशक

सेवा में,

अवर सचिव–
सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 25.02.2026

विषयः–जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष–2025–26 में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) के लिए प्रशासनिक लागत के अंतर्गत विमुक्त राशि में से ₹11.00 लाख (ग्यारह लाख रू0) मात्र की राशि की राशि का आवंटन।

आदेश–स्वीकृत

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–48016/04/2024–PMU दिनांक–08.12.2025 द्वारा राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में विमुक्त राशि के आलोक में ₹11.00 लाख (ग्यारह लाख रू0) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2–मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–102–आर्थिक विकास, उप शीर्ष–0225–राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई–विषय शीर्ष–0225–3106–सहायक अनुदान गैर वेतन–विपत्र कोड–44–22250 21020225–पी0एफ0एम0एस0 कोड–4188 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3–वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.4.1998 एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

4–इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पटना होंगे। उक्त राशि का व्यय SNA SPARSH Module के तहत् किया जाएगा।

5–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेगें। महालेखाकार, बिहार को इस स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

6–वित्त विभाग के पत्र संख्या–5295 दिनांक–09.05.2025 के आलोक में स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन एवं व्यय की कार्रवाई CFMS 2.0 के SNA SPARSH Module के माध्यम से किया जाएगा।

7–जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–48016/04/2024–PMU दिनांक–21.02.2025 एवं विभागीय संकल्प संख्या–6190 दिनांक–15.10.2024 के आलोक में स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

8–इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से संचिका सं0–6/निदे0 SPMU–39–01/2026 के माध्यम से पृष्ठ–........../प0 पर सहमति प्राप्त है।

9–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन

(प्रियंका रानी)
निदेशक

ज्ञापांक–6/निदे0 SPMU–39–01/2026 –312 **पटना, दिनांक**– 25.02.2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक–6/निदे0 SPMU–39–01/2026 –312 **पटना, दिनांक**– 25.02.2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदा0, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0–8डी0/लेखा शाखा/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक